संख्या– 241 / 14–2–2016–800 (39) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 2016**

विषयः– एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या–999स / 1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / 06 / 32 / 2016 / एफसी / 358 दिनांक 01–11–2016 द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी ।

2– इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 01–11–2016 की प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना एवं तत्सम्बंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– प्रस्ताव ।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।